समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला पंचायत कार्यालय)
—: नियोजन पत्र :—

सरकार के प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या– 4046/पं0 रा0 पटना के दिनांक–25.07.2018 एवं पत्रांक–300, पं0रा0, पटना, दिनांक–14.01.2019 में दिये गये निदेश के आलोक में जिला चयन समिति की दिनांक–02.03.2019 को आयोजित बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–284/पं0, दिनांक–02.03.2019 में लिये गये निर्णय के आधार पर बिहार राज्य के अधीन सरकारी पॉलटेकनिक संस्थानों के असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों को कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार कुल 12 (बारह) पद पर निम्न अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र में वर्णित शर्त्तों पर तकनीकी सहायक के लिये निर्धारित मानदेय राशि मो0–27,000/–(सत्ताईस हजार) रूपये मात्र प्रतिमाह की दर से दिनांक–31 मार्च 2020 तक के लिए संविदा के आधार पर नियोजन किया जाता है :—

क्र0	आवेदन सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	जन्म तिथि	अभ्यर्थी कोटि	आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TAT/0055112	श्री नीरज कुमार	श्री चन्देश्वरी चौधरी	ग्राम+पो0–चिकनी फुलकाहा, थाना+प्रखंड–गम्हरिया, जिला–मधेपुरा	25-Jul-95	BC	UR
2	TAT/0048392	श्री अनुज कुमार	श्री राजकुमार साह	ग्राम–चिकनी खुर्द, पो0–भवानीपुर, थाना+ प्रखंड–गम्हरिया, जिला–मधेपुरा	2-Feb-99	EBC	UR
3	TAT/0057530	श्री सुरज कुमार	श्री सीताराम मेहरा	ग्राम–छोटकी बढ़ौना, पो0–बड़की बढ़ौना, थाना+ प्रखंड–चौसा, जिला–मधेपुरा	2-May-98	EBC	UR
4	TAT/0074846	श्री अभिषेक राज	श्री नागेन्द्र कुमार चौधरी	ग्राम+पो0–रहटा, थाना+प्रखंड–कुमारखंड, जिला–मधेपुरा	5-Jan-99	BC	UR
5	TAT/0003380	श्री मिन्टू कुमार	श्री योगेन्द्र यादव	ग्राम–रामपुर लाही, पो0–बथान परसा, थाना+ प्रखंड –शंकरपुर, जिला–मधेपुरा	15-Jun-95	BC	UR
6	TAT/0013636	श्री कुन्दन कुमार	श्री गणेश शर्मा	ग्राम–अर्राहा, पो0–मानिकपुर, थाना+प्रखंड–मधेपुरा, जिला–मधेपुरा	15-Jan-97	EBC	UR
7	TAT/0014467	प्रियंका कुमारी	श्री मनोज मेहता	ग्राम–गणेशपुर, पो0–पुरैनी, थाना+प्रखंड–पुरैनी, जिला–मधेपुरा	1-Jan-97	BC	URF
8	TAT/0058810	श्री शशि कान्त प्रसाद	श्रीकान्त प्रसाद साह	ग्राम–जगजीवन पथ, पो0–मधेपुरा, थाना+प्रखंड –मधेपुरा, जिला–मधेपुरा	2-Feb-88	EBC	EBC
9	TAT/0056962	श्री प्रभात कुमार	श्री सुमन कुमार राय	ग्राम–फुलौत(पु0), पो0–फुलौत, थाना+प्रखंड–चौसा, जिला–मधेपुरा	6-Apr-98	EBC	EBC
10	TAT/0057666	श्री शंकर कुमार	श्री बेचन प्र0 यादव	ग्राम–झिटकिया, पो0–घैलाढ़, थाना+प्रखंड–घैलाढ़, जिला–मधेपुरा	2-Feb-96	BC	BC
11	TAT/0050785	श्री राजन कुमार	श्री नागेश्वर रजक	ग्राम–बसैठा, लूटन टोला, पो0–चौसा, थाना+प्रखंड – चौसा, जिला–मधेपुरा	24-Oct-92	SC	SC
12	TAT/0060287	श्री विश्वजीत कुमार	श्री अशर्फी राम	ग्राम+पो0–मिरदौल, थाना+प्रखंड–नरपतगंज, जिला–अररिया	5-Jun-99	SC	SC

तकनिकी सहायक का निम्नवत् दायित्व होगाः—

(i) तकनीकी प्रबंधन सुनिश्चि करना।

(ii) वार्ड प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा क्रियान्वित होने वाले कार्यो का प्राक्कलन बनाना।

(iii) तकनीकी अनुश्रवण, मापी–पुस्तिका का संधारण, कार्यो का निरीक्षण, ऑन लाईन रिपोर्टिंग, प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुरूप कार्य की गुणवत्ता की जॉच सुनिश्चित करना।

(iv) जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, द्वारा समय–समय पर आवंटित अन्य कार्य।

शर्त्त :–

1. यह नियोजन दिनांक– 31 मार्च 2020 तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा।
2. नियोजित तकनीकी सहायक को सभी शैक्षणिक, जाति एवं आवासीय का मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, सिविल सर्जन, मधेपुरा के द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र, एकरारनामा के साथ दिनांक–08.03.2019 तक जिला पंचायत राज कार्यालय, मधेपुरा में अपना योगदान समर्पित करना होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. संविदा शर्त्तों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ एकरारनामा करेंगे।
4. प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर चयनित तकनीकी सहायक को हटाने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी को होगा।
5. जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के स्तर पर अपील की जा सकेगी। जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
6. मानदेयः इन कर्मियों को पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय देय होगा। तत्काल तकनीकी सहायक को 27,000/–(सत्ताईस हजार) रूपये प्रतिमाह का मानदेय अनुमान्य होगा। इसमें समय–समय पर वित्त विभाग की सहमति से वृद्धि की जा सकेगी।
7. नियोजित अभ्यर्थी को पंचायती राज विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–4046/पं0रा0, पटना, दिनांक–25.07.2018 द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय का भुगतान पदस्थापित कार्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर जिला पंचायत राज कार्यालय, मधेपुरा द्वारा किया जायेगा।
8. मानदेय के आधार पर चयनित ये कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर चयनित इस कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
9. मानदेय आधारित चयनित कर्मियों के चयन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 285/पं0, मधेपुरा, दिनांक– 02/03/2019.

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित अभ्यर्थयों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी ग्राम पंचायत के मुखिया/सभी ग्राम पंचायत सचिव, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं उक्त सूची को मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– चयन समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, मधेपुरा एवं अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, ~~बिहार पटना~~ को सादर सूचनार्थ समर्पित।

2/3/19
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।